रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24072026-274748
CG-DL-E-24072026-274748

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3732] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 15, 2026/आषाढ 24, 1948
No. 3732] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 15, 2026/ASHADHA 24, 1948

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 2026

का.आ. 3895(अ).— केंद्र सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) के साथ पठित उप-धारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उप-धारा (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रस्तावित निम्नलिखित प्रारुप अधिसूचना को जारी करने का प्रस्ताव करती है, इसके द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) की अपेक्षानुसार इससे प्रभावित होने वाली जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित करती है; और एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारुप अधिसूचना पर उस तारीख से साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके बाद विचार किया जाएगा जिस तारीख को इस अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं।

ऐसा कोई भी व्यक्ति, जिसे इस प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति है या वह सुझाव देना चाहता है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्र सरकार के द्वारा विचार किए जाने के लिए, ऐसी आपत्ति या सुझाव को सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकता है।

प्रारूप अधिसूचना

जबकि, योर्डी राबे सुप्से वन्यजीव अभयारण्य 28°08′10.68″उ से 28°25′21.43″उ अक्षांश और 94°22′35.07″पू से 94°31′36.00″पू देशांतर के बीच फैला हुआ है। यह अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट सियांग जिले के आलॉन्ग वन प्रभाग में स्थित है। यह अभयारण्य 397 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला हुआ है। भारत के राजपत्र की अधिसूचना सीएलडब्लू/डी/33/96/1451-91, तारीख 4 जून 2007 के माध्यम से इसे वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था;

और जबकि, योर्डी राबे सुप्से वन्यजीव अभयारण्य में ऊंचाई में व्यापक भिन्नता है, जो उष्णकटिबंधीय से उप-समशीतोष्ण और अर्ध-सदाबहार वन प्रकारों तक फैली हुई है, जो इसकी अद्वितीय जैव विविधता और जलीय जीवन को धारण करती है। वनस्पति और जीव-जन्तु इस अभयारण्य के समृद्ध जैविक महत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं;

और जबकि, योर्डी राबे सुप्से वन्यजीव अभयारण्य में प्रमुख वनस्पतियों में *टर्मिनलिया मायरियोकार्पा, फ़िकस सेमीकोर्डेटा, फ़िकस ऑरिकुलाटा, मैकरंगा डेंटिकलेट, मैकरंगा इंडिका, मैकरंगा डेंटिकुलाटा, मैलोटस रॉक्सबर्गियानस, अल्टिंगिया एक्सेल, अमोरा वालिची, ऐलेन्थस ग्रैंडिस, सिनामोमम प्रजातियाँ, मैगनोलिया प्रजातियाँ, कैनेरियम रेजिनिफ़ेरम, टर्मिटमलिया बेलेरिका, टर्मिनलिया चेबुला, टेट्रासेरा सरमेंटोसा, बामबैक्स सीइबा, स्टेरकुलिया विइलोसा, कास्टानोप्सिस इंडिकैम, कास्टानोप्सिस ट्राइबुलोइड्स, बिशोफिया जावानिका, अल्बिज़िया ल्यूसिडा, सिज़ीगियम क्यूमिनी, मेसुआ फेरिया, डिलेनिया इंडिका, किडिया कैलीसिना, आर्टोकार्पस चैपलासा* सम्मिलित हैं। बांस की महत्वपूर्ण प्रजातियों में *डेंड्रोकैलामस हैमिल्टन, स्यूडोस्टैचियम पॉलीमॉर्फम* सम्मिलित हैं। बेंत की प्रजातियों में *कैलमस फ्लोरिबंडस* सम्मिलित है। ताड़ की महत्वपूर्ण प्रजातियों में *लिविस्टोना जेनकिंसियाना* सम्मिलित हैं।

और जबकि, योर्डी रबे सुपसे वन्यजीव अभयारण्य में प्रमुख जीवों में *एलिफस मैक्सिमस, पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा पार्डस, नेटफेलिस नेबुब्सा, उर्सस थिबेटानस, मकाका एसामेर्सिस, ट्रेचीपिथेकस पाइलटस, सर्वस यूनिकोलर, मुंटियाकस मुंटजैक, नेमोरहेडस गोरल, सस* स्क्रोफ़ा, क्यूओन अल्पाइन आदि; सम्मिलित हैं।

और चूंकि, योर्डी राबे सुप्से वन्यजीव अभयारण्य में प्रमुख पक्षी प्रजातियों में *बब्बलर, ईगल, फ्लाईकैचर, जंगली मुर्गे, किंगफिशर, लाफिंग थ्रश, मिनविट* आदि सम्मिलित हैं;

और जबकि, योर्डी राबे सुप्से वन्यजीव अभयारण्य में महत्वपूर्ण उभयचर प्रजातियों में *बुफो प्रजाति* और *डट्राफ्राइनस प्रजाति* जैसे मेंढक सम्मिलित हैं;

और जबकि, योर्डी राबे सुप्से वन्यजीव अभयारण्य में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण मछली प्रजातियों में *डैनियो प्रजाति, बैरिलस प्रजाति, सेमीप्लोटस प्रजाति, पुंटियस प्रजाति, टोर प्रजाति, चागुनियस प्रजाति, गारा प्रजाति, नियोमैचिलस प्रजाति और ग्लाइप्टोथोरेक्स प्रजाति* सम्मिलित हैं;

और जबकि, योर्डी राबे सुप्से वन्यजीव अभयारण्य में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण तितली प्रजातियों में *एंड्रोमिडे* और *यूप्टेरोटिडे* परिवार की तितलियां सम्मिलित हैं;

और जबकि, योर्डी राबे सुप्से वन्यजीव अभयारण्य में पाई जाने वाली प्रमुख सरीसृप प्रजातियों में *कैलोट्स प्रजाति, जैपलुरा प्रजाति, हेमिडैक्टाइलस प्रजाति, वरानस* प्रजाति आदि सम्मिलित हैं; *यूट्रोफिस प्रजाति, लाइगोसोमा प्रजाति जैसी छिपकलियां; रामफोटिफ्लोप्स प्रजाति, अजगर प्रजाति, अहेतुल्ला प्रजाति, एम्फीस्मा प्रजाति, बंगारस प्रजाति, नाजा प्रजाति, ओफियोफैगस प्रजाति जैसे सांप; कुओरा प्रजाति, पांगशुरा प्रजाति जैसे कछुए* सम्मिलित हैं;

और जबकि, पारिस्थितिकी, पर्यावरण और जैव विविधता के दृष्टिकोण से पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के रूप में पैराग्राफ 1 में विनिर्दिष्ट योर्डी राबे सुप्से वन्यजीव अभयारण्य की सीमाओं के आसपास के क्षेत्र का संरक्षण और सुरक्षा करना आवश्यक है तथा उक्त पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों की श्रेणियों और उनके संचालन एवं प्रक्रियाओं को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः अब, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के साथ पठित, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और (xiv) और उप-धारा (3) की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (जिसे इसके बाद इस अधिसूचना में पर्यावरण अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) केंद्र सरकार अरुणाचल प्रदेश के योर्डी राबे सुप्से वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर

पारिस्थितिकी-संवेदी जोन को अधिसूचित करती है (जिसे इसमें इसके बाद पारिस्थितिकी-संवेदी जोन कहा जाएगा) जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात्: -

1. **पारिस्थितिकी-संवेदी जोन का विस्तार एवं सीमाएँ.**– (1) पारिस्थितिकी-संवेदी जोन शून्य से 1 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जो अभयारण्य के चारों ओर 39.17 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को घेरता करता है। विभिन्न दिशाओं में पारिस्थितिकी-संवेदी जोन का विस्तार नीचे दिया गया है: -

दिशा	किलोमीटर में विस्तार
उत्तर-पश्चिम	1
उत्तर	1
उत्तर-पूर्व	0.1
पूर्व	0.1
दक्षिण-पूर्व	0.1
दक्षिण	0
दक्षिण-पश्चिम	0
पश्चिम	0

शून्य पारिस्थितिकी-संवेदी जोन का औचित्य:

- अभयारण्य की दक्षिण-पश्चिमी और पश्चिमी सीमा पश्चिम सियांग और ऊपरी सुबनसिरी जिलों की प्रशासनिक सीमा से मिलती है, जो अलॉन्ग वन प्रभाग की पश्चिमी सीमा भी है। चूंकि अलोंग वन प्रभाग का अभयारण्य की पश्चिमी सीमा से परे कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, इसलिए कोई पारिस्थितिकी-संवेदी जोन प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, यह क्षेत्र तीव्र ढलानों और चोटियों से युक्त है जो एक बफर जोन के रूप में कार्य करते हैं और अभयारण्य क्षेत्र के भीतर किसी भी मानवजनित गड़बड़ी के लिए प्राकृतिक अवरोध का काम करते हैं।
- अभयारण्य के दक्षिणी भाग को स्थानीय लोगों के अनुरोध पर आवासों और कृषि भूमि की उपस्थिति के कारण प्रतिबंधित क्षेत्र के रूप में शामिल नहीं किया गया है।

(2)योर्डी राबे सुप्से वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी-संवेदी जोन का मानचित्र अनुलग्नक-Iक और अनुलग्नक-Iख के रूप में संलग्न है।

(3) योर्डी राबे सुप्से वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी-संवेदी जोन की सीमा का विवरण अनुलग्नक-IIक और अनुलग्नक-IIख के रूप में संलग्न है।

(4) योर्डी राबे सुप्से वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के प्रमुख स्थानों के भौगोलिक निर्देशांक, जिनका उल्लेख सारणी क और ख में किया गया है, अनुलग्नक-III के रूप में संलग्न हैं।

(5) पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में कोई गाँव नहीं आता है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना– (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए, स्थानीय लोगों से परामर्श करके और इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुरूप, आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से दो वर्ष के भीतर एक आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अधीन तथा केंद्रीय और राज्य विधानों के सुसंगत और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों, यदि कोई हों, के अनुरुप तैयार की जाएगी।

(3) आंचलिक महायोजना, राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार की जाएगी ताकि पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय सरोकारों को इस योजना में एकीकृत किया जा सके.-

i. पर्यावरण;

ii. वन और वन्यजीव;

iii. कृषि;

iv. राजस्व;

v. शहरी विकास;

vi. पर्यटन;

vii. ग्रामीण विकास;

viii. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

ix. नगरपालिका;

x. पंचायती राज;

xi. लोक निर्माण विभाग।

(4) आंचलिक महायोजना में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा जब तक इस अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हो, तथा आचंलिक महायोजना की सभी अवसंरचनाओं और उसके क्रियाकलापों में सुधार करके उन्हे अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी-अनुकूल बनाने की व्यवस्था की जाएगी।

(5) आंचलिक महायोजना, में वृक्षहीन क्षेत्रों की बहाली, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, जल ग्रहण क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं का प्रावधान किया जाएगा, जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है ।

(6) आंचलिक महायोजना में सहायक मानचित्रों के साथ सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, उपजाऊ भूमि, उद्यानों और उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा, जिनमें विद्यमान तथा प्रस्तावित भू-उपयोग विशेषताओं के ब्यौरों का निर्धारण किया जाएगा।

(7) इस आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के विकास को विनियमित किया जाएगा और पैरा 4 में सूचीबद्ध प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों का अनुपालन किया जाएगा और स्थानीय समुदायों की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल विकास को सुनिश्चित किया जाएगा और उसका संवर्धन किया जाएगा।

(8) आंचलिक महायोजना, क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी ।

(9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना, इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कार्यों को पूरा करने के लिए निगरानी समिति के लिए संदर्भ दस्तावेज होगा।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय. - राज्य सरकार अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्: -

(1) भू-उपयोग. – (क) पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के लिए चिन्हित उद्यानों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या आवासीय परिसरों या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए प्रयोग या परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी:

बशर्ते कि पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के भीतर (क) में विनिर्दिष्ट उद्देश्य के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए कृषि और अन्य भूमि का रूपांतरण निगरानी समिति की सिफारिश पर और क्षेत्रीय नगर नियोजन अधिनियम और केंद्र/राज्य सरकार के अन्य

नियमों और विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमोदन के साथ अनुमत किया जा सकता है और इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, जैसे:

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का निर्माण करना;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का सन्निर्माण और नवीनीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योग एवं ग्राम उद्योग; पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार, और स्थानीय सुविधाएं तथा गृह वास; और

(v) पैराग्राफ-4 के मद में यथा उल्लिखित संवर्धित क्रियाकलाप।

बशर्ते यह भी कि क्षेत्रीय नगर नियोजन अधिनियम और राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के तहत सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना और संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों या तत्समय लागू विधियों के अनुपालन के बिना, जिसमें अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) शामिल है, वाणिज्यिक और औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि के कोई उपयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी:

परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के अधीन आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी त्रुटि को, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जाएगा और उक्त त्रुटि को सुधारने की सूचना केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि को सुधारने में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा:

(ख) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में वनीकरण तथा पर्यावासों की बहाली के कार्यकलापों से पुन: वनीकरण किए जाने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) प्राकृतिक जल स्रोत.- सभी प्राकृतिक झरनों के जलग्रहण क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्धार की योजनाओं को आंचलिक महायोजना में सम्मिलित किया जाएगा तथा राज्य सरकार द्वारा मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार किए जाएंगे जिससे इन क्षेत्रों में या इनके आसपास विकास के ऐसे क्रियाकलापों पर रोक लगाई जा सके जो इन क्षेत्रों के लिए हानिकारक हों।

(3) पर्यटन या पारि-पर्यटन – (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारि-पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन संबंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार होगा।

(ख) पर्यटन महायोजना, राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभागों के परामर्श से पर्यटन विभाग द्वारा तैयार किया जाएगा;

(ग) पर्यटन महायोजना, आंचलिक महायोजना का घटक होगी;

(घ) पर्यटन महायोजना, पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जायेगी;

(ङ) पारि-पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात्: -

(i) योर्डी राबे सुप्से की सीमा से एक किमी. के अंदर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, जो भी पास हो, होटलों और रिज़ॉर्टस् के नए निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

बशर्ते कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किमी. की दूरी के बाद से लेकर पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक नए होटलों और रिज़ॉर्टस् की स्थापना की अनुमति आंचलिक महायोजना के अनुसार केवल पारि-पर्यटन सुविधाओं के लिए पूर्व –परिभाषित और नामित क्षेत्रों में ही दी जाएगी।

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या मौजूदा पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्र सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों और राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरणों द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन मार्गदर्शक सिद्धांतों (समय-समय पर संशोधित) के अधीन होगा, जिसमें पारिस्थितिकी पर्यटन, पारिस्थितिकी शिक्षा और पारिस्थितिकी विकास पर जोर दिया जाएगा;

(iii) जब तक इस आंचलिक महायोजना को तैयार और अनुमोदित नहीं कर दिया जाता तब तक पर्यटन के विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार की अनुमति संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा स्थल विशिष्ट जांच और निगरानी समितियों की सिफारिश के आधार पर दी जाएगी।

(4) **प्राकृतिक विरासत –** पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अधीन आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन पूल रिज़र्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ऐतिहासिक, स्थापत्य, सौंदर्यपरक और सांस्कृतिक महत्व की इमारतों, संरचनाओं, कलाकृतियों, क्षेत्र और परिसरों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए विरासत संरक्षण योजना आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** – पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण समय-समय पर यथासंशोधित ध्वनि प्रदूषण (नियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(7) **वायु प्रदूषण-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण, समय-समय पर यथासंशोधित वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(8) **बहिस्राव का निस्सरण** -पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में उपचारित अपशिष्टों का निर्वहन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (समय-समय पर संशोधित) के अधीन आने वाले पर्यावरण प्रदूषकों के निर्वहन के लिए सामान्य मानकों और उसके अधीन बनाए गए नियमों या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों, इनमें से जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अधीन होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट -** ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा. -

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट निपटान और प्रबंधन, समय-समय पर संशोधित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार किया जाएगा, जिसे भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचना संख्या का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित किया गया है; अकार्बनिक पदार्थों का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन के बाहर चिन्हित स्थल पर पर्यावरणीय अनुकूल तरीके से किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विनिर्दिष्ट प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए, विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्टों का सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल प्रबंधन (ईएसएम) करने की अनुमति दी जा सकती है।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट.** - जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या सा.का.नि.343(अ), तारीख 28 मार्च, 2016 समय-समय पर यथा संशोधित जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अधीन किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विनिर्दिष्ट प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए, विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन (ईएसएम) करने की अनुमति दी जा सकती है।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन** -पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या सा.का.नि.340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016, समय-समय पर यथासंशोधित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अधीन किया जाएगा;

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन** - पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या सा.का.नि.317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016, समय-समय पर यथासंशोधित, निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अधीन किया जाएगा;

(13) **ई–अपशिष्ट** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित समय-समय पर यथासंशोधित; ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, के उपबंधों के अधीन किया जाएगा।

(14) **सड़क-यातायात** - सड़क-यातायात को पर्यावास अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपाबंध सम्मिलित किए जाएंगे। आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके अधीन बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार सड़क-यातायात के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(15) **वाहन जनित प्रदूषण** - वाहन जनित प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा और स्वच्छतर ईधनों जैसे संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी), द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (पीएनजी), आदि के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां** .-(क) आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी;

(ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जनवरी, 2025 में जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों में समय-समय पर संशोधित रूप में उल्लिखित उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुमति दी जाएगी और इसके अतिरिक्त, गैर प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों का संवर्धन किया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण** -पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा :-

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी निर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी;

(ख) जिन ढलानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी निर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची-

योर्डी राबे सूप्से अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53), वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69) तथा अन्य लागू विधियों, जिनमें तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड), 2011, पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006, तथा उनमें किए गए संशोधन और राज्य में प्रचलित अन्य अधिनियमों सहित अन्य लागू विधियों के उपाबंधों द्वारा शासित होंगे। पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अधीन आने वाले वन क्षेत्र मौजूदा वन विधियों तथा उनमें किए गए संशोधनों के अधीन ही संचालित होता

रहेगा। इस अनुच्छेद के उपाबंधों के अधीन रहते हुए, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में क्रियाकलापों का विनियमन नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट प्रकार से किया जाएगा, अर्थात्:-

सारणी

क्रम सं. (1)	क्रियाकलाप (2)	टिप्पणियां (3)
	क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन, और क्रशिंग इकाइयां ।	(क) पारिस्थितिकी-संवेदी ज़ोन के भीतर घरों के निर्माण या मरम्मत के लिए मिट्टी की खुदाई सहित वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के सिवाय सभी नए और विद्यमान (लघु और प्रमुख खनिज), पत्थर उत्खनन और क्रशिंग इकाइयों को तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध है। (ख) खनन कार्य माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 4 अगस्त, 2006 के आदेश (टी.एन. गोदावर्मन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ के मामले में, रिट याचिका संख्या 202/1995) और तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश (गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में, लोकहित याचिका संख्या 435/2012); और आईए संख्या 1000 वर्ष 2003 तारीख 03 जून, 2022। आईए संख्या 131377 वर्ष 2022, तारीख 26 अप्रैल, 2023 और 28 अप्रैल, 2023 के निर्णय और आईए संख्या 162023, 162034, 162154 और 162155 वर्ष 2025 में तारीख 23 जुलाई 2025 के बाद के निर्णय या खनन के संबंध में कोई और आदेश के अनुसार किए जाएंगे।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि, आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी-संवेदी ज़ोन में नए प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना और विद्यमान प्रदूषणकारी उद्योगों के विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी। बशर्ते कि, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जनवरी 2025 में जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, समय-समय पर संशोधित रूप में पारिस्थितिकी-संवेदी ज़ोन के भीतर गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुमति दी जाएगी, जब तक कि इस अधिसूचना में अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो, और इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों का संवर्धन जाएगा।
3.	प्रमुख जलविद्युत परियोजनाओं की स्थापना।	प्रतिषिद्ध।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रस्संकरण ।	प्रतिषिद्ध।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित अपशिष्टों को प्रवाहित करना।	प्रतिषिद्ध।
6.	ठोस अपशिष्ट निपटान स्थल और ठोस एवं जैव चिकित्सा अपशिष्ट के लिए संयुक्त भस्मीकरण सुविधा की स्थापना।	पारिस्थितिकी-संवेदी ज़ोन के भीतर किसी भी प्रकार के ठोस अपशिष्ट निपटान स्थल और ठोस अपशिष्ट उपचार/प्रसंस्करण सुविधा की अनुमति नहीं है। इसके अलावा, औद्योगिक प्रक्रियाओं

		और स्वास्थ्य संस्थानों/अस्पतालों आदि से उत्पन्न किसी भी प्रकार के ठोस अपशिष्ट के उपचार के लिए संयुक्त या व्यक्तिगत भस्मीकरण सुविधा की स्थापना प्रतिषिद्ध है।
7.	फर्मों, कंपनियों, कॉरपोरेट्स द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन और कुक्कुट फार्मों इत्यादि की स्थापना।	प्रतिषिद्ध।
8.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलापों जैसे कि संरक्षित क्षेत्र और उसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन के ऊपर गर्म हवा के गुब्बारे, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट और अन्य विमानों आदि द्वारा उड़ान भरना।	प्रतिषिद्ध।
9.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के भीतर नई या विद्यमान आरा मिलों के विस्तार की अनुमति नहीं होगी ।
10.	ईंट भट्टों की स्थापना।	प्रतिषिद्ध।
	ख.विनियमित क्रियाकलाप	
11.	वाणिज्यिक होटलों और रिसॉर्ट्स की स्थापना।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों के लिए लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिर्सोटो की स्थापना की अनुमति नहीं होगी : बशर्ते, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर बाहर या पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरूप होगा ।
12.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के विस्तार तक, जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार के नए वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुमति नहीं होगी : (ख) बशर्ते, स्थानीय निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भवन उपविधियों के अनुसार पैराग्राफ 3 के उप-पैरा (1) में उल्लिखित क्रियाकलापों सहित स्थानीय लोगों को उनके उपयोग के लिए अपनी भूमि पर संनिर्माण करने की अनुमति दी जाएगी, (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का निर्माण करना; (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का सन्निर्माण और नवीनीकरण; (iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग; (iv) कुटीर उद्योग एवं ग्राम उद्योग; पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार, और स्थानीय सुविधाएं तथा गृह

		वास; और (v) इस अधिसूचना में यथा उल्लिखित संवर्धित क्रियाकलाप। बशर्ते यह कि, गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हो, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे। (ग) एक किलोमीटर के परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।
13.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	जनवरी, 2025 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी और समय-समय पर संशोधित उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की अपनी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमत होंगे।
14.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना वन या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं की जाएगी। (ख) वृक्षों की कटाई सम्बद्ध केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगें।
15.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों (एनटीएफपी) का संग्रहण।	अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासियों [वन अधिकार मान्यता] अधिनियम, 2006 के अनुसार विनियमित।
16.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने, तार-बिछाने तथा अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा (भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा दिया जाना चाहिए) ।
17.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचा।	लागू विधियों, नियमों और विनियमों तथा उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार शमन उपायों के साथ किया जाएगा ।
18.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ बनाना ।	लागू विधियों, नियमों और विनियमों तथा उपलब्ध मार्ग दर्शक सिद्धांतों के अधीन शमन उपाय किए जाएंगे।
19.	पहाड़ी ढलानों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगें।
20.	रात्रि में मोटर यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए विनियमित।
21.	स्थानीय समुदायों द्वारा कृषि और बागवानी की चल रही प्रथाएँ, साथ ही डेयरी, दुग्ध पालन, जलीय कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने के अलावा लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगें।
22.	प्राकृतिक जल निकायों या भू-क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण।	उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का जल निकायों में निस्सारण नहीं होने दिया जायेगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग के प्रयास किए जाएंगे, अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

23.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
24.	कृषि या अन्य उपयोग के लिए खुला कुआँ, बोरवेल आदि।	विनियमित और क्रियाकलापों की कड़ी निगरानी सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जानी चाहिए।
25.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
26.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
27.	पारिस्थितिकी- पर्यटन	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
28.	पॉलीथिन बैग का प्रयोग।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर पॉलीथीन बैग के उपयोग की अनुमति है। हालांकि, विशेष आवश्यकता के आधार पर, यह लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
29.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग्स।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
ग.संवर्धित क्रियाकलाप		
30.	वर्षा जल संचय ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
31.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
32.	सभी क्रियाकलापों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
33.	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग आदि ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
34.	नवीकरणीय ऊर्जा व ईंधन का प्रयोग ।	जैविक गैस, सौर प्रकाश इत्यादि को बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का प्रयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39.	खराब भूमि/वनों/ पर्यावासों की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
40.	पर्यावरण के प्रति जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

निगरानी समिति.- केन्द्र सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी निगरानी के लिए एतद्द्वारा एक निगरानी समिति का गठन करती है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-

क्रम संख्या	निगरानी समिति के सदस्य	पदनाम
1.	उप आयुक्त, पश्चिम सियांग जिला, आंध्र प्रदेश	अध्यक्ष;
2.	सदस्य सचिव, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आंध्र प्रदेश	सदस्य;
3.	शहरी विकास विभाग के प्रतिनिधि, पश्चिम सियांग जिला, आंध्र प्रदेश	सदस्य;

4.	ग्रामीण निर्माण विभाग पश्चिम सियांग जिले के प्रतिनिधि, आंध्र प्रदेश	सदस्य;
5.	लोक निर्माण विभाग पश्चिम सियांग जिले के प्रतिनिधि, आंध्र प्रदेश	सदस्य;
6.	संभागीय वन अधिकारी, अलॉन्ग वन प्रभाग	सदस्य–सचिव;

6. निगरानी समिति की संदर्भित शर्तें. –

(1) मॉनिटरिंग समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(2) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन (3) वर्षों का होगा या तब तक, जब तक राज्य सरकार द्वारा नई समिति का पुनर्गठन नहीं किया जाता, और इसके बाद निगरानी समिति का गठन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

(3) भारत सरकार की पूर्व पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधिसूचना संख्या का.आ. 1553 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 में सम्मिलित क्रियाकलापों, और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आती हैं, सिवाय इसके कि पैराग्राफ 4 के अधीन सारणी में विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर, वास्तविक स्थल-विशिष्ट स्थितियों के आधार पर निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपाबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में केंद्र सरकार को संदर्भित की जाएगी।

(4) जो गतिविधियां पूर्व पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के का.आ. 1533 (अ), दिनांक 14 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना की अनुसूची में सम्मिलित नहीं हैं और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आती हैं, सिवाय पैराग्राफ 4 के अधीन सारणी में विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के, वास्तविक स्थल -विशिष्ट परिस्थितियों के आधार पर निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेजी जाएगी ।

(5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित कलेक्टर या संबंधित उप वन संरक्षक पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन ऐसे किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होगा जो इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करता है।

(6) निगरानी समिति मामला-दर-मामला आधार पर आवश्यकतानुसार अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए संबंधित विभाग से प्रतिनिधि या विशेषज्ञ, उद्योग संगमों या संबंधित पणधारियों के प्रतिनिधि को आमंत्रित कर सकती है।

(7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक की अवधि के लिए अपनी क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट उस वर्ष 30 जून तक राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को इस अधिसूचना से संलग्न **अनुलग्नक -VI** में विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में प्रस्तुत करेगी।

(8) केन्द्र सरकार, निगरानी समिति को उसके कार्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए लिखित रूप में ऐसे निदेश दे सकेगी, जो वह उचित समझे।

7. अतिरिक्त उपाय. - इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

8. उच्चतम न्यायालय आदि के आदेश- इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित या पारित किए जाने वाले आदेशों के अधीन होंगे।

[फा. सं. 25/187/2015-ईएसजेड-आरई]

वेद प्रकाश मिश्रा, संयुक्त सचिव

अनुलग्नक-।क

योर्डी राबे सुप्से वन्यजीव अभयारण्य का मानचित्र

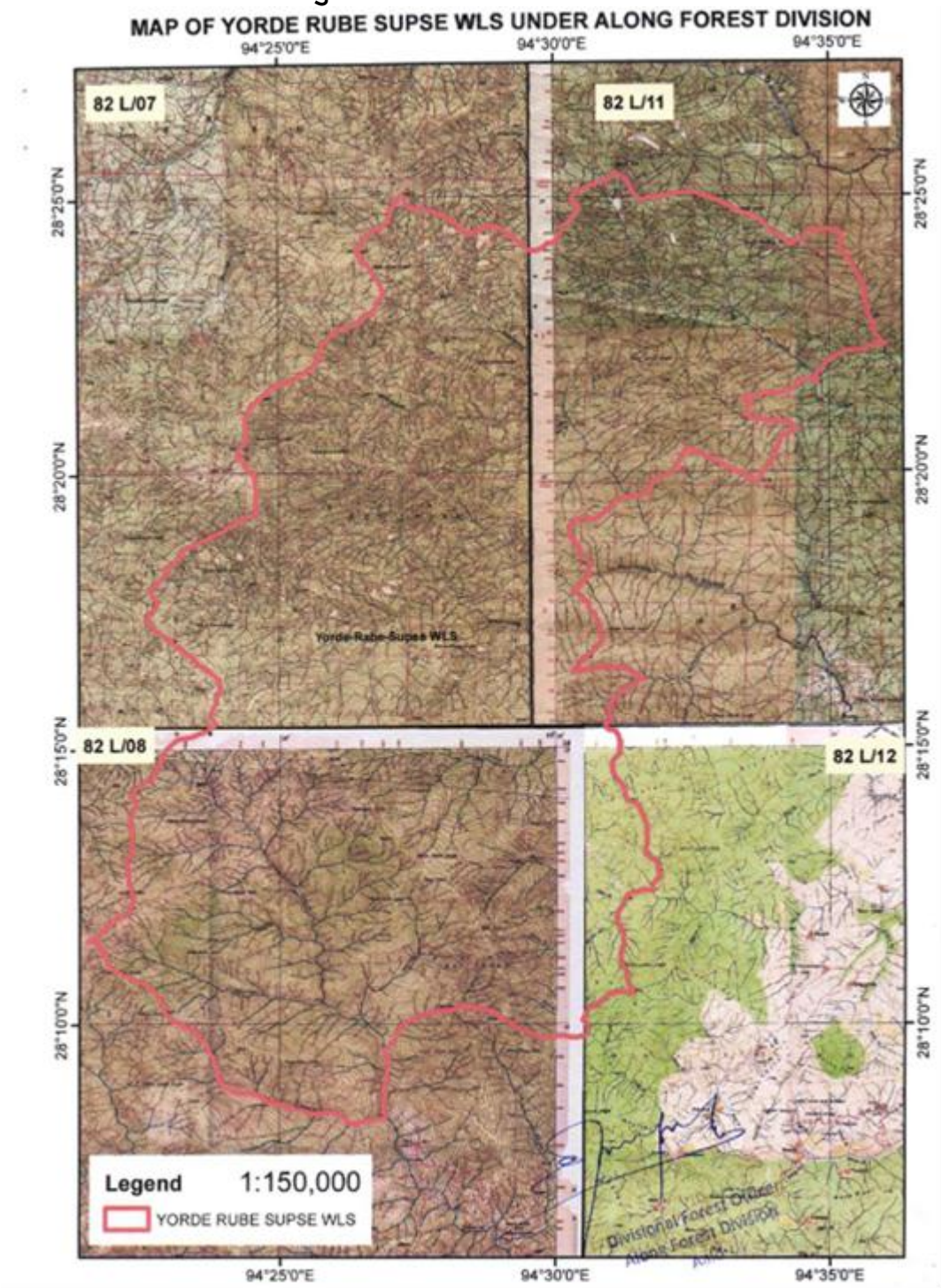

अनुलग्नक-ख

योर्डी राबे सुप्से वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र

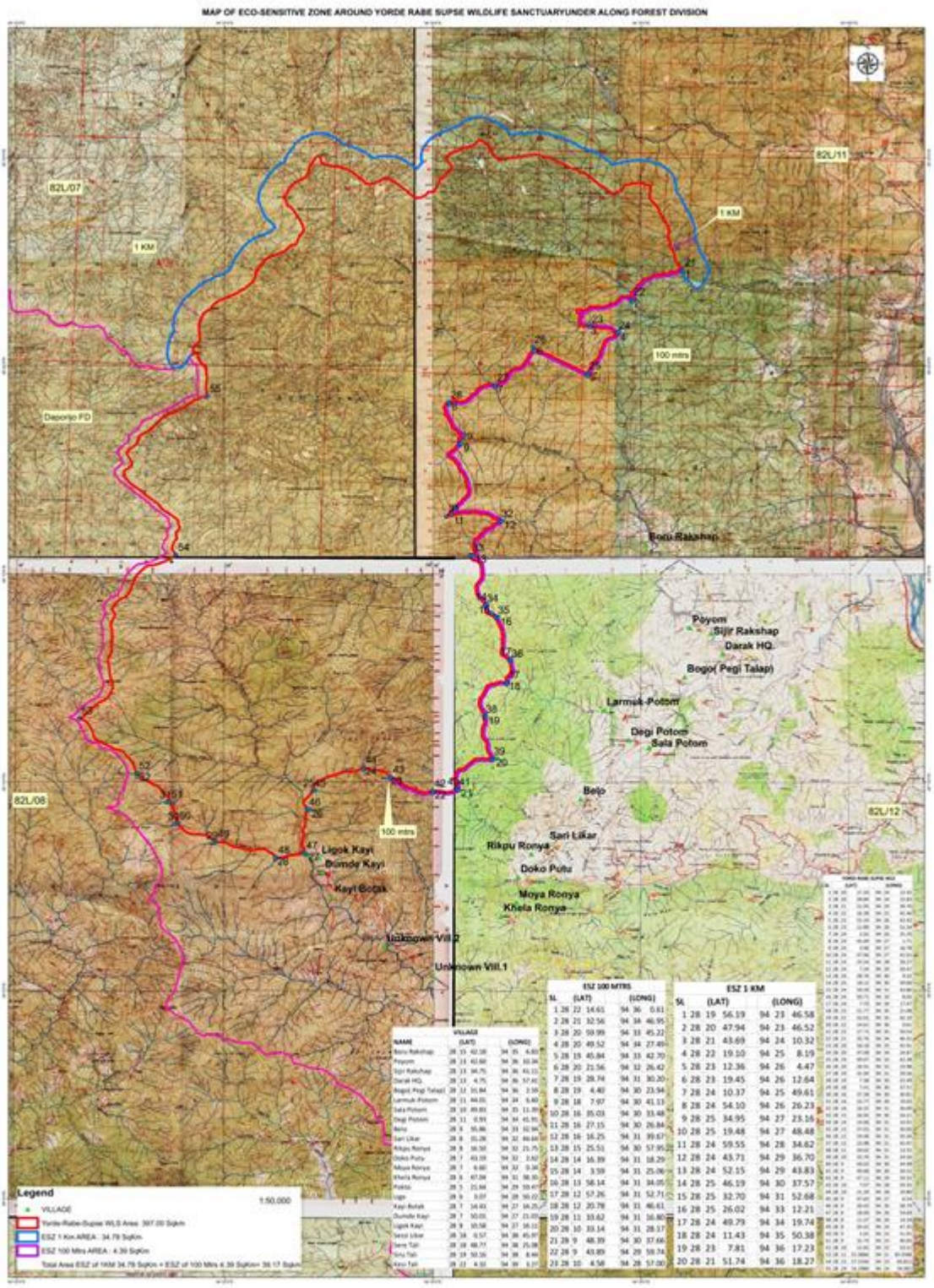

अनुलग्नक-IIक

योर्डी राबे सुप्से वन्यजीव अभयारण्य की सीमा का विवरण

दिशा	विवरण
उत्तर	बिंदु "ए" - जले युबदी के शिखर 3812 से शुरू होकर, जीआर 894794 पर स्थित रिज तक। तब रिज के साथ आगे बढ़ते हुए, जो दरक सर्कल और टाटो सर्कल के बीच सामान्य सर्कल सीमा भी है, पीक 3339 से होकर, उसी रिज के माध्यम से बयोर-आदि तक, जहाँ से कार्यिंग प्रशासनिक सर्कल की सीमा जीआर 904858 पर शुरू होती है। फिर रिज के साथ आगे बढ़ते हुए (कार्यिंग सर्कल और दरक सर्कल की सामान्य सर्कल सीमा) पीक-2830, 2340 से होकर जीआर 885924 (बिंदु बी) पर केबुंग कोरोंग के स्रोत तक।
पूर्व	फिर केबुंग कोरोंग के बाएं किनारे के साथ-साथ नीचे की ओर बढ़ते हुए पश्चिम से आने वाली एक अनाम सहायक नदी के संगम तक, जो 848938 पर स्थित है। फिर उस सहायक नदी के दाहिने किनारे के साथ-साथ ऊपर की ओर बढ़ते हुए उसके उद्गम स्थल तक, जो जीआर 846931 पर स्थित है। इसके बाद 275° की दिशा में 500 मीटर और 225° की दिशा में 200 मीटर तक कृत्रिम सीधी रेखा खींची जाती है, यानी जीआर 845925 पर स्थित हीरा कोरोंग की एक अनाम सहायक नदी के उद्गम स्थल तक। फिर उस सहायक नदी के बाएं किनारे के साथ-साथ नीचे की ओर बढ़ते हुए जीआर 838918 पर हीरा कोरोंग के साथ उसके संगम तक जाया जाता है। फिर हिरु कोरोंग के बाएं किनारे के साथ-साथ अनुप्रवाह दिशा में पश्चिम से आने वाली एक अज्ञात सहायक नदी के संगम तक, जो जीआर 835918 पर स्थित है। फिर उस सहायक नदी के दाहिने किनारे के साथ-साथ अनुप्रवाह दिशा में उसके उद्गम स्थल तक, जो जीआर 830901 पर स्थित है। फिर वहां से 270° की दिशा में 400 मीटर की दूरी तक एक कृत्रिम सीधी रेखा में हिरु कोरोंग की एक अज्ञात सहायक नदी की छोटी धारा के उद्गम स्थल तक, जो जीआर 830897 पर स्थित है। फिर उस छोटी नदी के बाएं किनारे के साथ-साथ नीचे की ओर बहते हुए, जीआर 824898 पर स्थित एक अनाम सहायक नदी हिरू कोरोंग के संगम तक। फिर उस सहायक नदी के बाएं किनारे के साथ-साथ नीचे की ओर बहते हुए, जीआर 820914 पर स्थित दक्षिण-पश्चिम से आने वाली एक अन्य अनाम सहायक नदी के संगम तक। फिर उस सहायक नदी के दाहिने किनारे के साथ-साथ ऊपर की ओर बहते हुए, जीआर 803902 पर स्थित उसके उद्गम स्थल तक। फिर वहां से 190° की दिशा में 200 मीटर की दूरी तक शिखर 2046 तक एक कृत्रिम सीधी रेखा में आगे बढ़ें। इसके बाद बोरुआदी पहाड़ी के साथ उत्तर-पूर्वी दिशा में 300° की दिशा में 2.5 किलोमीटर की दूरी तक जीआर 813881 तक, यानी गोमते कोरोंग (ह्रिक कोरोंग की एक सहायक नदी) के उद्गम स्थल तक जाएं। फिर गोमते कोरोंग के अनुप्रवाह के साथ-साथ जीआर 795866 पर हिरिक कोरोंग से मिलने तक आगे बढ़ें। फिर हिरिक कोरोंग के दाहिने किनारे के साथ-साथ 500 मीटर की दूरी तक जीआर 796864 तक, यानी याबुर कोरोंग के संगम तक, और फिर याबुर कोरोंग के साथ-साथ ऊपर की ओर तब तक चलें जब तक कि यह 2065 शिखर पर न पहुँच जाए। फिर शिचुक कोरोंग की एक अन्य सहायक नदी के साथ दक्षिण-पूर्व दिशा में नीचे की ओर तब तक चलें जब तक कि यह जीआर 767853 पर शिचुक कोरोंग से न मिल जाए। फिर शिचुक कोरोंग के साथ-साथ 600 मीटर की दूरी तक ऊपर की ओर चलें जब तक कि दक्षिण-पूर्व से आने वाली एक सहायक नदी जीआर 753849 पर न पहुँच जाए। फिर उस सहायक नदी के साथ-साथ उसके उद्गम तक और पीक 2005 से गुजरने वाली सीमा तक, जहाँ वह जीआर 738851 से मिलती है, यानी सोर्विंग कोरोर्ग की एक अनाम सहायक नदी के उद्गम तक। फिर उस सहायक नदी के अनुप्रवाह में, जीआर 735870 पर सोर्यिंग कोरोंग से मिलने तक। फिर सोर्यिंग कोरोंग/सिसो कोरोंग के दाहिने किनारे के साथ-साथ दक्षिण-पश्चिम दिशा में, जीआर 7198S9 पर एक अनाम सहायक नदी के संगम तक। फिर उस सहायक नदी के साथ-साथ ऊपर की ओर (बाएँ किनारे) तब तक चलें जब तक वह जीआर 694867 पर शिखर 2419 पर धारा के उद्गम स्थल से न मिल जाए। फिर वहाँ से डेमबेसिओ एन नामक सहायक नदी के बाएँ किनारे का अनुसरण

	करते हुए नीचे की ओर तब तक चलें जब तक वह सिबू नाले से 800 मीटर की दूरी पर ऊपर की ओर न मिल जाए और जीआर 661868 पर दीयुम नाले के साथ संगम तक पहुँच जाएँ। फिर दीयुम नाले के दाएँ किनारे का अनुसरण करते हुए ऊपर की ओर तब तक चलें जब तक वह जीआर 653866 पर दीयुम नाले की एक अनाम सहायक नदी के साथ संगम तक न पहुँच जाए। फिर उस अनाम नाले के ऊपर की ओर बढ़ते हुए, जब तक वह शिखर 2075 पर स्थित केनुम पातु तक नहीं पहुँच जाता (जो जीआर 616850 (बिंदु सी) पर रिमी नाले की एक अन्य सहायक नदी के साथ संगम तक एक सहायक नदी का स्रोत भी है)।
दक्षिण	फिर उस सहायक नदी के दाहिने किनारे के साथ-साथ उसके उद्गम स्थल जीआर 618834 तक ऊपर की ओर चलें। फिर राबे शिखर (2390) को पार करते हुए 315° की दिशा में 350 मीटर की दूरी तक एक कृत्रिम सीधी रेखा में चलें, जहाँ से जीरा नाले का उद्गम स्थल जीआर 622832 है। फिर जीरा नाले के अनुप्रवाह में चलते हुए जीआर 608797 पर सिक्केन नाले से मिलें। फिर सिक्केन नाले के दाहिने किनारे के साथ-साथ अनुप्रवाह में चलते हुए पूर्व से आने वाले एक अज्ञात नाले के साथ उसके संगम स्थल जीआर 594798 तक चलें। इसके बाद, 225° की दिशा में 1.5 किमी की दूरी तक एक कृत्रिम सीधी रेखा खींची जाती है, जो दक्षिण से आने वाली एक अनाम सहायक नदी के साथ सिक्केन नाले के संगम तक जाती है, जो जीआर 584788 पर स्थित है। फिर वहां से सिक्केन नाले के बाएं किनारे के साथ-साथ उसके उद्गम स्थल जीआर 616734 तक ऊपर की ओर जाया जाता है। वहाँ से पश्चिम सियांग और ऊपरी सुबनसिरी जिलों की साझा जिला सीमा पर स्थित जीआर 616732 (यह मारू-जारू रूसी संघ की उत्तरी सीमा का भी हिस्सा है) बिंदु डी तक 270° की दिशा में 250 मीटर की दूरी तक एक कृत्रिम सीधी रेखा खींची जाती है।
पश्चिम	फिर उक्त पर्वतमाला के साथ उत्तर की ओर बढ़ते हुए, शिखर 2670, 3090, 3265, 3408, 3319, 3365, 3864 से होते हुए जीआर 805747 पर स्थित 3992 तक। फिर पर्वतमाला के साथ (अर्थात् टाटो और डारक वृत्त की सीमा के साथ) उत्तर-पूर्व की ओर शिखर 3985, 3806, 3801 से होते हुए प्रारंभिक बिंदु शिखर 3812 जीआर 894794 बिंदु ए तक।

अनुलग्नक II ख

योर्डी राबे सुप्से वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

योर्डी राबे सुप्से वन्यजीव अभयारण्य की उत्तरी सीमा से शुरू होकर, जो डापोरिजो वन्यजीव अभ्यारण्य और अलोंग वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा भी है, 1 किलोमीटर चौड़ाई के क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में प्रस्तावित किया गया है। इस क्षेत्र की सीमा 28°19'56.19" उत्तर और 94°23'46.58" पूर्व के भौगोलिक निर्देशांकों पर स्थित एक बिंदु से शुरू होती है।इसके बाद सीमा पूर्व की ओर बढ़ते हुए भौगोलिक निर्देशांक 28°20'47.94"उत्तर और 94°23'46.52"पूर्व से होकर गुजरती है, जिससे यह शिमी नदी की शाखा धारा को अक्षांश 28°21'43.69"उत्तर और देशांतर 94°24'10.32"पूर्व तथा अक्षांश 28°22'19.10"उत्तर और देशांतर 94°25'8.19"पूर्व तथा अक्षांश 28°23'12.36"उत्तर और देशांतर 94°26'4.47"पूर्व के प्रतिच्छेदन बिंदु पर पार करती है। इसके बाद रिज सीमा का अनुसरण करते हुए यह उत्तर की ओर बढ़ते हुए भौगोलिक निर्देशांक 28°23'19.45"उत्तर और 94°26'12.64"पूर्व से होकर गुजरती है; 28°24'10.37 "उत्तर, 94°25'49.61"पूर्व; 28°24'54.10" उत्तर, 94°26'26'23"पूर्व। इसके बाद सीमा अभयारण्य की उत्तरी सीमा के समानांतर पूर्व की ओर जाती है और भौगोलिक निर्देशांक 28°25'34.95" उत्तर और 94°27'23.16" पूर्व; 28°25'19.48" उत्तर और 94°27'48.48" पूर्व; 28°24'59.55" उत्तर और 94°28'34.62" पूर्व; 28°24'43.71" उत्तर और 94°29'36.70" पूर्व; 28°24'52.15" उत्तर और 94°29'43.83" पूर्व से होकर गुजरती है। इसके बाद सीमा बायोर-आदि पहाड़ियों को पार करती है और भौगोलिक निर्देशांक 28°25'46.19" उत्तर और 94°30 37.57" पूर्व; 28°25'32.70" उत्तर और 94°31' 52.68" पूर्व; 28°25' 26.02" उत्तर और 94°33' 12.21" पूर्व से होकर गुजरती है। 28°24 49.79" उत्तर और 94°34' 19.74" पूर्व; 28°24 11.43" उत्तर और 94°35' 50.38" पूर्व, भू-निर्देशांक 28° 23' 7.81" उत्तर और 94° 36 17.23" पूर्व तक, वहां से 1 किमी चौड़ाई की सीमा भू-निर्देशांक 28° 21' 51.74" उत्तर और 94°36' 18.27" पूर्व पर स्थित एक अज्ञात धारा पर समाप्त होती है।

पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल, जिसकी चौड़ाई 1 किमी है, = 34.78 वर्ग किमी।

योर्डी राबे सुप्से वन्यजीव अभयारण्य की पूर्वी सीमा पर, 100 मीटर चौड़ाई वाली पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा 28°22'14.61" उत्तर, 94°36'0.61" पूर्व के भौगोलिक निर्देशांक पर स्थित अज्ञात धारा से शुरू होती है; 28°21'32.56" उत्तर, 94°34'46.95" पूर्व के भौगोलिक निर्देशांक पर स्थित हिरु-कोरोंग (नाला) से गुजरते हुए, सीमा 28°20'59.99" उत्तर, 94'33'45.22" पूर्व के भौगोलिक निर्देशांक से होते हुए दक्षिण की ओर बढ़ती है। 28°20'49.52"उत्तर, 94°34'27.49"पूर्व से लेकर शिखर बिंदु 2046 तक, भौगोलिक निर्देशांक 28°19'45.84"उत्तर, 94°33'42.70"पूर्व पर।इसके बाद सीमा थोड़ी पश्चिम की ओर 28°20'21.56"उत्तर, 94°32'26.42"पूर्व भौगोलिक निर्देशांकों तक जाती है, फिर एक रिज का अनुसरण करते हुए योगोंग कोरोंग के निचले हिस्से को 28°19'28.74" उत्तर, 94°31'30.20"पूर्व भौगोलिक निर्देशांकों पर पार करती है, और 28°19'4.40" उत्तर, 94°30'23.94"पूर्व भौगोलिक निर्देशांकों से गुजरते हुए शिचुक कोरोंग (नाला) को 28°18'7.97"उत्तर, 94°30'41.13"पूर्व भौगोलिक निर्देशांकों पर पार करती है; इसके बाद सीमा दक्षिण की ओर बढ़ती है और भू-निर्देशांक 28°16'35.03"उत्तर, 94°30'33.48"पूर्व, 28°16'27.15'उत्तर, 94°30'26.84"पूर्व से गुजरते हुए सोयिंग-कोरोंग की शाखा नाले तक जाती है, जिसका भू-निर्देशांक 28°16'16.25"उत्तर, 94°31'39.67"पूर्व है। इसके बाद सीमा अभयारण्य की दक्षिण-पूर्वी सीमा के समानांतर दक्षिण की ओर निरंतर बढ़ती है और भू-निर्देशांक 28°25'25.51"उत्तर, 94°30'57.95"पूर्व; 28°14'16.39"उत्तर, 94°31'18.29"पूर्व से गुजरती है। 28° 14' 3.59" उत्तर, 94°31'25.06" पूर्व, 28° 13' 58.14" उत्तर, 94°31' 34.05" पूर्व; 28° 12' 57.26" उत्तर, 94°31' 52.71" पूर्व; सिबू नाले तक भू-निर्देशांक 28°12'20.78"उत्तर, 94°31 46.61"पूर्व ; इसके बाद सिबू-नाला के मार्ग का अनुसरण करते हुए सीमा 28°11'33.62" उत्तर, 94°31'16.80" पूर्व भू-निर्देशांकों से होकर गुजरती है; शिखर बिंदु 1075 तक, जो 28°10'33.14" उत्तर, 94°31'28.17" पूर्व भू-निर्देशांकों पर स्थित है। इसके बाद एक रिज का अनुसरण करते हुए सीमा रिमी नाला को 28°9'48.39" उत्तर, 94°30' 37.66" पूर्व भू-निर्देशांकों पर पार करती है; और लगातार दक्षिण-पश्चिम की ओर बढ़ते हुए 28°9'43.89"उत्तर, 94°29'59.74"पूर्व के भौगोलिक निर्देशांकों से गुजरते हुए, पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा 28°10'4.58"उत्तर, 94°28' 57.00"पूर्व पर समाप्त होती है।

पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल (100 मीटर चौड़ाई सहित) = 4.39 वर्ग किमी।

पारिस्थितिकी संवेदी जोन का कुल क्षेत्रफल = 34.78 वर्ग किमी + 4.39 वर्ग किमी **= 39.17 वर्ग किमी।**

अनुलग्नक -III

सारणी क : योर्डी राबे सुप्से वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के साथ महत्वपूर्ण स्थानों के भू-निर्देशांक

क्र.स.	अक्षांश (उत्तर)	देशांतर (पूर्व)
1	28.33811	94.40371
2	28.34996	94.40634
3	28.3561	94.41104
4	28.37122	94.42929
5	28.38201	94.44512
6	28.38691	94.44787
7	28.40074	94.44036
8	28.41253	94.45048
9	28.41749	94.45466
10	28.41307	94.46192
11	28.40709	94.47758
12	28.40204	94.49735
13	28.40799	94.50259
14	28.4217	94.51639
15	28.41655	94.52885
16	28.41409	94.55223
17	28.40214	94.57152
18	28.39771	94.58919
19	28.38111	94.59505
20	28.37073	94.60017
21	28.37159	94.59987
22	28.35993	94.57953
23	28.34894	94.56275
24	28.34641	94.57358
25	28.3303	94.56177
26	28.34081	94.53999
27	28.32554	94.52488
28	28.31872	94.50625
29	28.30206	94.51042
30	28.27702	94.50856
31	28.27299	94.50529
32	28.2712	94.52683
33	28.25749	94.51506
34	28.23724	94.50414

35	28.23251	94.52517
36	28.21513	94.53066
37	28.20666	94.52944
38	28.19295	94.52036
39	28.17603	94.52349
40	28.16389	94.50958
41	28.1638	94.50959
42	28.16309	94.49981
43	28.16863	94.48315
44	28.17258	94.47219
45	28.16323	94.45182
46	28.15568	94.44966
47	28.13833	94.44853
48	28.13649	94.43732
49	28.14289	94.41315
50	28.15028	94.39775
51	28.15882	94.39446
52	28.17018	94.38153
53	28.19222	94.35843
54	28.25765	94.39717
55	28.32119	94.40972

सारणी ख : योर्डी राबे सुप्से वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा पर स्थित महत्वपूर्ण स्थानों के भू-निर्देशांक

1 किमी चौड़ाई वाली पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा के साथ		
क्र.स.	**अक्षांश (उत्तर)**	**देशांतर (पूर्व)**
1	28.33228	94.39627
2	28.34665	94.39903
3	28.34547	94.40287
4	28.37197	94.41894
5	28.38677	94.43458
6	28.38874	94.43684
7	28.40288	94.43045
8	28.41503	94.44062
9	28.42638	94.45643
10	28.42208	94.46347
11	28.41654	94.47628
12	28.41214	94.49353

13	28.41449	94.49551
14	28.4295	94.51044
15	28.42575	94.5313
16	28.42389	94.55339
17	28.41383	94.57215
18	28.40318	94.59733
19	28.3855	94.60479
20	28.36437	94.60508
100 मी चौड़ाई वाली पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा के साथ		
क्र.स.	अक्षांश (उत्तर)	देशांतर (पूर्व)
1	28.37073	94.60017
2	28.35904	94.57971
3	28.35000	94.56256
4	28.34709	94.57430
5	28.32939	94.56186
6	28.33932	94.54067
7	28.32465	94.52506
8	28.31789	94.50665
9	28.30221	94.51143
10	28.27640	94.50930
11	28.27421	94.50746
12	28.27118	94.52769
13	28.25709	94.51610
14	28.23511	94.52175
15	28.23433	94.52363
16	28.23282	94.52613
17	28.21591	94.53131
18	28.20577	94.52961
19	28.19267	94.52133
20	28.17587	94.52449
21	28.16344	94.51046
22	28.16219	94.49993
23	28.16794	94.48250

अनुलग्नक -V

योर्डी राबे सुप्से वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आने वाले गांवों की सूची

क्र स.	गाँव का नाम	गाँव का प्रकार	तहसील/तालुका	जिला	अक्षांश (उत्तर)	देशांतर (पूर्व)	टिप्पणी
-	शून्य	-	-	-	-	-	योर्डी राबे सुप्से वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई भी गाँव नहीं आता है।

अनुलग्नक –VI

कार्रवाई की गई रिपोर्ट का प्रारूप:-

1. बैठकों की संख्या और तिथि
2. बैठक के कार्यवृत्त: मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का उल्लेख करें। बैठक का कार्यवृत्त अलग अनुलग्नक में संलग्न हैं:
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति;
4. भूमि अभिलेख में स्पष्ट त्रुटि के सुधार के लिए निपटाए गए मामलों का सारांश: विवरण अनुलग्नक के रूप में संलग्न किया जाए।
5. पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों के लिए संवीक्षा किए गए मामलों का सारांश, विवरण अलग अनुलग्नक के रूप में संलग्न किया जाए।
6. पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के अधीन सम्मिलित नही की गई क्रियाकलापों के लिए जाँचे गए मामलों का सारांश। विवरण अलग अनुलग्नक के रूप में संलग्न किया जाए।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज शिकायतों का सारांश।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th July, 2026

S.O. 3895(E).— The following draft notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and subsection (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at esz-mef@nic.in

DRAFT NOTIFICATION

WHEREAS, the Yordi Rabe Supse Wildlife Sanctuary is spread across 28°08′10.68″N to 28°25′21.43″N latitude and 94°22′35.07″E to 94°31′36.00″E longitude. It is located in the Along Forest Division, West Siang district of Arunachal Pradesh. The Sanctuary covers an area of 397 sq. km. The wildlife sanctuary was declared vide Gazette Notification CWL/D/33/96/1451-91, dated 4th June 2007;

AND WHEREAS, the Yordi Rabe Supse Wildlife Sanctuary has a wide range of altitudinal variation from tropical to sub temperate and semi-evergreen forest types which holds its unique biodiversity and aquatic life. The flora and fauna represent rich biological significance of this Sanctuary;

AND WHEREAS, the major flora in Yordi Rabe Supse Wildlife Sanctuary includes *Terminalia myriocarpa*, *Ficus semicordata*, *Ficus auriculata*, *Macaranga denticalate*, *Macaranga indica*, *Macaranga denticulata*, *Mallotus roxburghianus*, *Altingia excels*, *Amoora wallichii*, *Ailanthus grandis*, *Cinnamomum sp*. *Magnolia sp*., *Canarium resiniferum*, *Termitmlia bellerica*, *Terminalia chebula*, *Tetracera sarmentosa*, *Bambax ceiba*, *Sterculia viilosa*, *Castanopsis indicam*, *Castanopsis tribuloides*, *Bischofia javanica*, *Albizzia lucida*, *Syzygium cuminii*, *Mesua ferrea*, *Dillenia indica*, *Kydia calycina*, *Artocarpus chaplasa*. Important Bamboo species include *Dendrocalamus hamiltonii*, *Pseudostachyum polymorphum*. Cane species include *Calamus floribundus*. Important palm species include *Livistona jenkinsiana*;

AND WHEREAS, the major fauna in Yordi Rabe Supse Wildlife Sanctuary includes *Elephas maximus*, *Panthera tigris*, *Panthera pardus*, *Netfelis nebubsa*, *Ursus thibetanus*, *Macaca assamersis*, *Trachypithecus pileatus*, *Cervus unicolor*, *Muntiacus muntjak*, *Naemorhedus goral*, *Sus scrofa*, *Cuon alpines* etc.;

AND WHEREAS, the major avifauna in Yordi Rabe Supse Wildlife Sanctuary includes Babblers, Eagles, Flycatchers, Junglefowl, Kingfishers, Laughing thrushes, Minvits, etc.;

AND WHEREAS, the important amphibian species in Yordi Rabe Supse Wildlife Sanctuary includes frogs such as *Bufo sp.* and *Duttaphrynus sp.;*

AND WHEREAS, the important fish species in Yordi Rabe Supse Wildlife Sanctuary includes *Danio sp.*, *Barilus sp.*, *Semiplotus sp.*, *Puntius sp.*, *Tor sp.*, *Chagunius sp.*, *Garra s*p., *Neomacheilus sp.*, and *Glyptothorax sp.;*

AND WHEREAS, the important butterfly species in Yordi Rabe Supse Wildlife Sanctuary includes from the family of Endromidae and Eupterotidae;

AND WHEREAS, the major reptile species in Yordi Rabe Supse Wildlife Sanctuary includes *Calotes sp.*, *Japalura sp. Hemidactylus sp.*, *Varanus sp.* etc.; Skinks such as *Eutrophis sp.*, *Lygosoma sp.*; Snakes such as *Ramphotyphlops sp.*, *Python sp.*, *Ahaetulla sp.*, *Amphiesma sp., Bungarus sp.*, *Naja sp.*, *Ophiophagus sp.*; Tortoises such as *Cuora sp.*, *Pangshura sp.;*

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, surrounding the boundaries of Yordi Rabe Supse Wildlife Sanctuary which are specified in paragraph 1 as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub section (l) and clauses (v) and (xiv) of subsection (2) and sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an Eco-Sensitive Zone around the boundary of Yordi Rabe Supse Wildlife Sanctuary of Arunachal Pradesh (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

1. **Extent and boundaries of the Eco-Sensitive Zone. –** (1) The Eco-Sensitive Zone varies from zero to 1 km, encompassing an area of 39.17 sq. km around the Sanctuary. The Extent of Eco-Sensitive Zone in different directions is given below: -

Direction	Extent in Km
North-West	1
North	1
North-East	0.1
East	0.1
South-East	0.1
South	0
South-West	0
West	0

Justification for zero ESZ:

- The South-Western & Western boundary of the sanctuary coincides with the administrative boundary of West Siang and Upper Subansiri districts, which is also the Western boundary of Along Forest Division. As Along Forest Division does not have any jurisdiction beyond the western boundary of the sanctuary, as such no Eco-sensitive zone could be proposed. Moreover, the area is characterized by steep gradients and peaks which act as a buffer zone and as natural barrier to any anthropogenic disturbances inside the sanctuary area.

- The southern portion of the sanctuary is excluded on the request of the local people due to the presence of habitations and agricultural lands.

(2) The map of the Yordi Rabe Supse Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure- IA and Annexure-IB.**

(3) The boundary description of Yordi Rabe Supse Wildlife Sanctuary and its Eco-Sensitive Zone is appended as **Annexure- IIA and Annexure- IIB.**

(4) The geo-coordinates of the prominent locations of Yordi Rabe Supse Wildlife Sanctuary and its Eco-Sensitive Zone mentioned at Table A and B is appended as **Annexure-III.**

(5) There are no villages falling in Eco-Sensitive Zone.

2. Zonal Master Plan for Eco-Sensitive Zone.–

(1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-Sensitive Zone, prepare a Zonal Master Plan within two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and in conformity to the provisions of this notification.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-Sensitive Zone shall be prepared by the State Government in accordance with the provisions of this notification and in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan: -

i. Environment;

ii. Forest and Wildlife;

iii. Agriculture;

iv. Revenue;

v. Urban Development;

vi. Tourism;

vii. Rural Development;

viii. Irrigation and Flood Control;

ix. Municipal;

x. Panchayati Raj;

xi. Public Works Department.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure, and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, green area, such as, parks and it's like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-Sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and ensure and promote eco-friendly development for security of local community's livelihood.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by the State Government. – The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:

(1) **Land use. –** (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-Sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or major residential complex or industrial activities.

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a), within the Eco-Sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central/State Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents such as:

i. Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

ii. Construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

iii. Small scale industries not causing pollution;

iv. Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

v. Promoted activities and given under paragraph 4.

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007);

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-Sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) **Natural water bodies.–** The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism or eco-tourism.–** (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-Sensitive Zone;

a) the Tourism Master Plan shall be prepared by the Department of Tourism in consultation with the Departments of Environment and Forests of the State Government;

b) the Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan;

c) the Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-Sensitive Zone;

d) the activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely: -

i. No new construction of hotels and resorts shall be allowed within 1 km from the boundary of the Yordi Rabe Supse Wildlife Sanctuary or up to the extent of the Eco-Sensitive Zone whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of the 1 km from the boundaries of the protected area till the extent of the Eco-Sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in predefined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

ii. all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;

iii. until the Zonal Master Plan is prepared and approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the regulatory authorities concerned based on the actual site-specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural heritage.–** All sites of valuable natural heritage in the Eco-Sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.–** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-Sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution. –** Prevention and control of noise pollution in the Eco-Sensitive Zone shall be complied in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 and as amended from time to time.

(7) **Air pollution.–** Prevention and control of air pollution in the Eco-Sensitive Zone shall be complied in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and as amended from time to time.

(8) **Discharge of effluents. –** Discharge of treated effluents in Eco-Sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 (as amended from time to time) and rules made there under or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) **Solid wastes.–** Disposal and Management of solid wastes shall be as under-

a. the solid waste disposal and management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number S.O. 1357(E), dated the 8th April, 2016 and as amended from time to time; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-Sensitive Zone;

b. Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.–** Bio medical waste management shall be as under:

a) The bio-medical waste disposal in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Notification number GSR 343(E), dated the 28th March, 2016; as amended from time to time.

b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Bio-medical wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(11) **Plastic waste management. –** The Plastic Waste Management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

(12) **Construction and demolition waste management. –** The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R 317(E) , dated the 29th March, 2016 as amended from time to time.

(13) **E-waste. –** The E-Waste Management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate change and as amended from time to time.

(14) **Vehicular traffic. –** The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) **Vehicular pollution.–** Prevention and control of Vehicular Pollution shall be complied with in accordance with applicable laws. Efforts to be made for use of cleaner fuel such as CNG, LPG, etc.

(16) **Industrial units.–**

a) No new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-Sensitive Zone on or after the publication of this notification in the Official Gazette,

b) Only non-polluting industries shall be allowed within the Eco-Sensitive Zone as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in January 2025, as amended from time to time, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) **Protection of hill slopes.–** The protection of hill slopes shall be as under:

(a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.

(b) Construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-Sensitive Zone.– All activities in the Eco-Sensitive Zone of Yordi Rabe Supse Sanctuary shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), Forest Act, 1927 (16 of 1927), Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980) and other applicable laws including the Coastal Regulation Zone (CRZ), 2011, Environmental Impact Assessment (EIA) Notification, 2006, and amendments made thereto and other Acts prevalent in the State. The forest area coming under the Eco-sensitive Zone will remain to be governed under existing forest laws and amendments made thereto. Subject to the provisions of this paragraph, the activities in the Eco-sensitive Zone shall be regulated in manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S No	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
		A. Prohibited Activities
1.	Commercial Mining, stone quarrying and crushing units.	a. All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of *bona fide* local residents including digging of earth for construction or repair of houses within Eco-sensitive Zone; b. The mining operations shall be carried out in accordance with the order(s) of the Hon'ble Supreme Court dated dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995; dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012; and IA No. 1000 of 2003 dated the 03rd June, 2022. IA No. 131377 of 2022, judgment dated the 26th April, 2023 and the 28th April, 2023 and subsequent judgment dated the 23rd July 2025 in I.A Nos. 162023, 162034, 162154 and 162155 of 2025 or any further orders regarding mining.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-Sensitive Zone shall not be permitted: Provided that, non-polluting industries shall be allowed within Eco-Sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in January, 2025, as amended from time to time, unless so specified in this notification and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited.
4.	Use, production, or processing of any hazardous substances.	Prohibited.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited.
6.	Establishment of Solid Waste disposal site and common incineration facility for solid and bio medical waste.	No Solid Waste disposal site and waste treatment/ processing facility of solid waste are permitted within Eco-Sensitive Zone. Further installation of common or individual incineration facility for treatment of any form of solid waste generated from industrial process and health establishment/hospital etc. is prohibited.
7.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate, companies.	Prohibited.
8.	Under taking other activities related to tourism like flying over the protected area and its Eco-	Prohibited.

S No	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
	sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, and other aircrafts etc.	
9.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
10.	Setting up of brick kilns.	Prohibited.
	B. Regulated Activities	
11.	Commercial establishment of hotels and resorts	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or up to the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities; Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or up to the extent of Eco-Sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
12.	Construction activities	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or up to the extent of the Eco-Sensitive Zone, whichever is nearer; (b) Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents such as: i. Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads; ii. Construction and renovation of infrastructure and civic amenities; iii. Small scale industries not causing pollution; iv. Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and v. Promoted activities listed in this notification. Provided that, the construction activity related to small-scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any; (c) Beyond one kilometre it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
13.	Small-scale non-polluting industries.	Non-polluting industries as per classification of Industries issued by the Central Pollution Control Board in January 2025 and as amended from time to time and non-hazards, small-scale and service industry, agriculture, floriculture,

S No	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
		horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the Competent Authority.
14.	Felling of Trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made there under.
15.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated as per the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers [Recognition of Forest Rights] Act, 2006.
16.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable law (Underground cabling may be promoted).
17.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per the applicable laws, rules and regulations available guidelines.
18.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
19.	Protection of Hill Slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
20.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
21.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.
22.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies. Efforts to be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise, the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.
23.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable law.
24.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
25.	Solid Waste Management.	Regulated under applicable laws.
26.	Introduction of Exotic species.	Regulated under applicable laws.
27.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable law.

S No	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
28.	Use of polythene bags.	Use of polythene bags are permitted within the Eco Sensitive Zone. However, based on specific requirement, it shall be regulated under applicable laws.
29.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
C. Promoted Activities		
30.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
31.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
32.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
33.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
34.	Use of renewable energy and fuels.	Bio gas, solar light etc. to be actively promoted.
35.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
36.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
37.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
38.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
39.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat.	Shall be actively promoted.
40.	Environmental Awareness.	Shall be actively promoted.

5. **Monitoring Committee.**– The Central Government herby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 comprising of the following, namely:-

S. No.	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
1.	Deputy Commissioner, West Siang District, A.P	Chairman;
2.	Member Secretary, State Pollution Control Board, A.P	Member;
3.	Representative of Urban Development Department West Siang District, A.P	Member;
4.	Representative of Rural Works Department, West Siang District, A.P	Member;
5.	Representative of Public Works Department, West Siang District, A.P	Member;
6.	Divisional Forest Officer, Along Forest Division	Member Secretary.

6. Terms of Reference of the Monitoring Committee.–

(1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The tenure of the Monitoring committee is for three (3) years or till the re constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee would be constituted by the State Government.

(3) The activities that are covered in the schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September 2006, and are falling in Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and are falling in Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authority.

(5) The Member Secretary of Monitoring Committee shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments or representative from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the state as per pro-forma given **Annexure-VI**, appended to this notification.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change may give such direction, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. Additional measures.– The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to the provisions of this notification.

Supreme Court, etc. orders. – The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/187/2015-ESZ-RE]

VED PRAKASH MISHRA, Jt. Secy.

Annexure-IA

Map of the Yordi Rabe Supse Wildlife Sanctuary

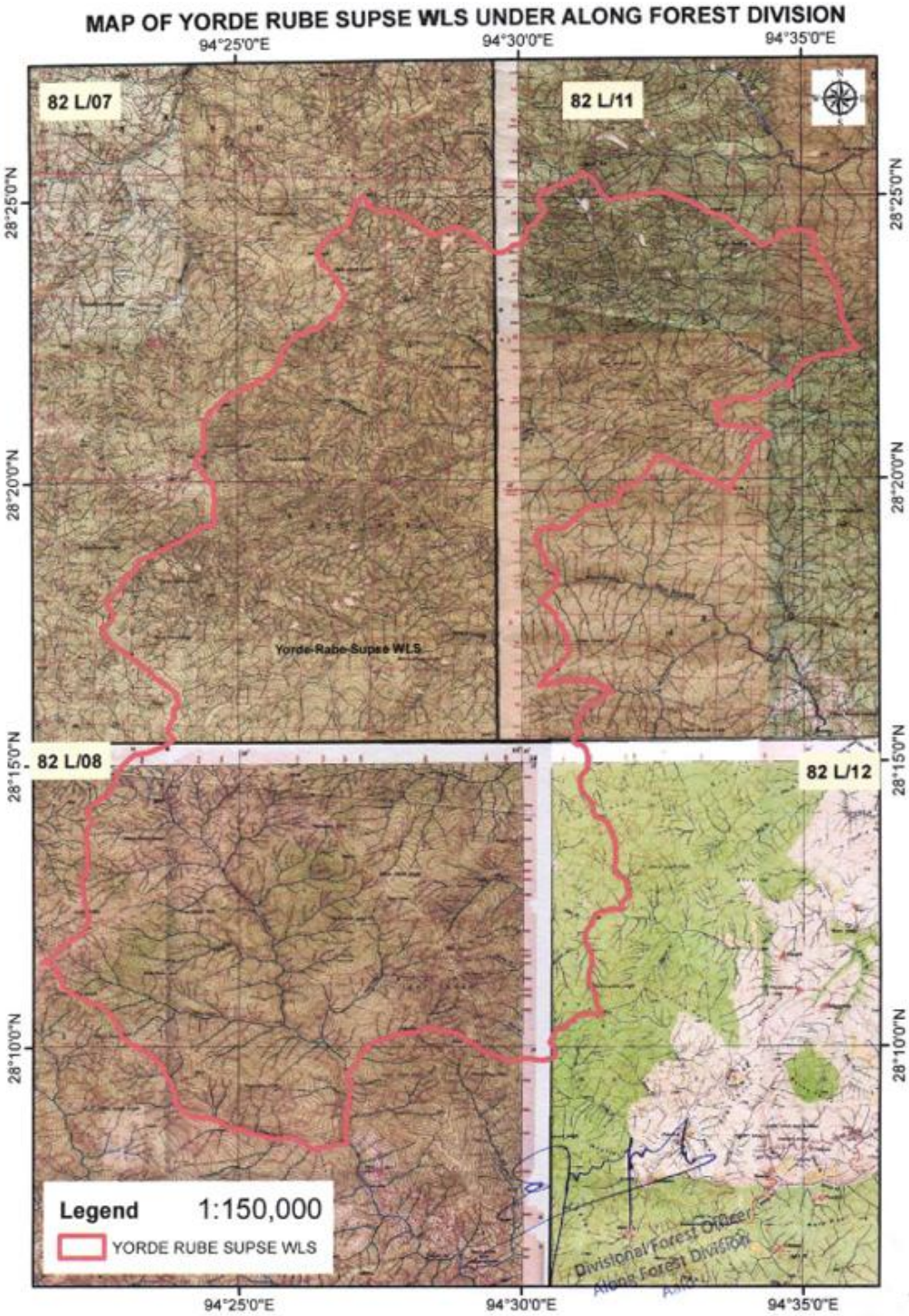

Annexure-IB

Map of the Eco-Sensitive Zone of Yordi Rabe Supse Wildlife Sanctuary

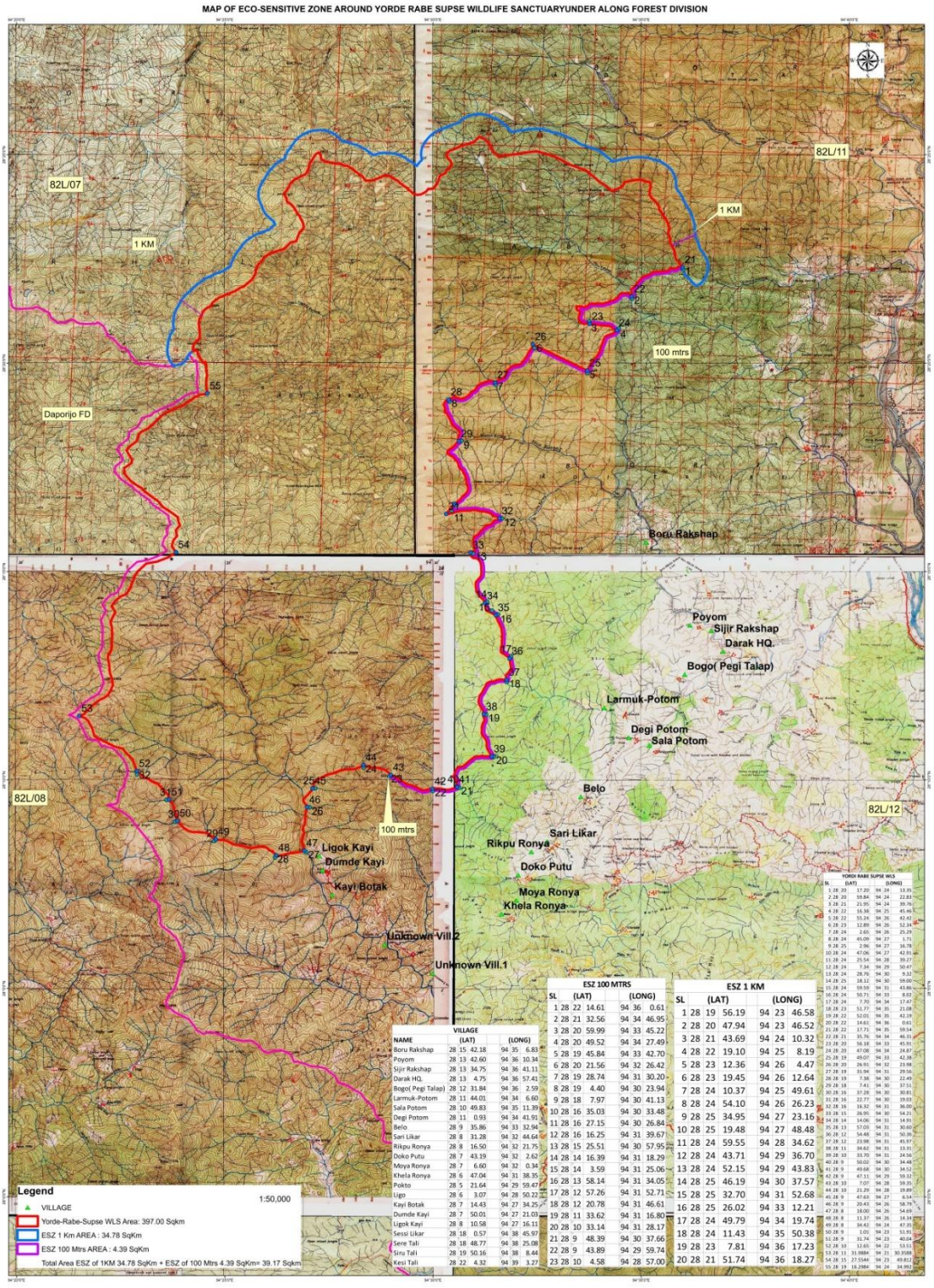

VILLAGE				
NAME	(LAT)		(LONG)	
Boru Rakshap	28 15	42.18	94 35	6.83
Poyom	28 13	42.60	94 36	10.34
Sijir Rakshap	28 13	34.75	94 36	41.11
Darak HQ.	28 13	4.75	94 36	57.41
Bogo(Pegi Talap)	28 12	31.84	94 36	2.59
Larmuk-Potom	28 11	44.01	94 34	6.60
Sala Potom	28 10	49.83	94 35	11.39
Degi Potom	28 11	0.93	94 34	41.91
Belo	28 9	35.86	94 33	32.94
Sari Likar	28 8	31.28	94 32	44.64
Rikpu Ronya	28 8	16.50	94 32	21.75
Doko Putu	28 7	43.19	94 32	2.62
Moya Ronya	28 7	6.60	94 32	0.34
Khela Ronya	28 6	47.04	94 31	38.35
Pokto	28 5	21.64	94 29	59.47
Ligo	28 6	3.07	94 28	50.22
Kayi Botak	28 7	14.43	94 27	34.25
Dumde Kayi	28 7	50.01	94 27	21.03
Ligok Kayi	28 8	10.58	94 27	16.11
Sessi Likar	28 18	0.57	94 38	45.97
Sere Tali	28 18	48.77	94 38	25.08
Siru Tali	28 19	50.16	94 38	8.44
Kesi Tali	28 22	4.32	94 39	3.27

ESZ 100 MTRS				
SL	(LAT)		(LONG)	
1	28 22	14.61	94 36	0.61
2	28 21	32.56	94 34	46.95
3	28 20	59.99	94 33	45.22
4	28 20	49.52	94 34	27.49
5	28 19	45.84	94 33	42.70
6	28 20	21.56	94 32	26.42
7	28 19	28.74	94 31	30.20
8	28 19	4.40	94 30	23.94
9	28 18	7.97	94 30	41.13
10	28 16	35.03	94 30	33.48
11	28 16	27.15	94 30	26.84
12	28 16	16.25	94 31	39.67
13	28 15	25.51	94 30	57.95
14	28 14	16.39	94 31	18.29
15	28 14	3.59	94 31	25.06
16	28 13	58.14	94 31	34.05
17	28 12	57.26	94 31	52.71
18	28 12	20.78	94 31	46.61
19	28 11	33.62	94 31	16.80
20	28 10	33.14	94 31	28.17
21	28 9	48.39	94 30	37.66
22	28 9	43.89	94 29	59.74
23	28 10	4.58	94 28	57.00

ESZ 1 KM				
SL	(LAT)		(LONG)	
1	28 19	56.19	94 23	46.58
2	28 20	47.94	94 23	46.52
3	28 21	43.69	94 24	10.32
4	28 22	19.10	94 25	8.19
5	28 23	12.36	94 26	4.47
6	28 23	19.45	94 26	12.64
7	28 24	10.37	94 25	49.61
8	28 24	54.10	94 26	26.23
9	28 25	34.95	94 27	23.16
10	28 25	19.48	94 27	48.48
11	28 24	59.55	94 28	34.62
12	28 24	43.71	94 29	36.70
13	28 24	52.15	94 29	43.83
14	28 25	46.19	94 30	37.57
15	28 25	32.70	94 31	52.68
16	28 25	26.02	94 33	12.21
17	28 24	49.79	94 34	19.74
18	28 24	11.43	94 35	50.38
19	28 23	7.81	94 36	17.23
20	28 21	51.74	94 36	18.27

YORDI RABE SUPSE WLS				
SL	(LAT)		(LONG)	
1	28 20	17.20	94 24	13.35
2	28 20	59.84	94 24	22.83
3	28 21	21.95	94 24	39.76
4	28 22	16.38	94 25	45.46
5	28 22	55.24	94 26	43.42
6	28 23	12.89	94 26	52.34
7	28 24	2.65	94 26	25.29
8	28 24	45.09	94 27	1.71
9	28 25	2.96	94 27	16.78
10	28 24	47.06	94 27	42.93
11	28 24	25.54	94 28	39.27
12	28 24	7.34	94 29	50.47
13	28 24	28.76	94 30	9.32
14	28 25	18.12	94 30	59.00
15	28 24	59.59	94 31	43.86
16	28 24	50.71	94 33	8.02
17	28 24	7.70	94 34	17.47
18	28 23	51.77	94 35	21.08
19	28 22	52.01	94 35	42.19
20	28 22	14.61	94 36	0.61
21	28 22	17.71	94 35	59.54
22	28 21	35.76	94 34	46.35
23	28 20	56.18	94 33	45.91
24	28 20	47.08	94 34	24.87
25	28 19	49.07	94 33	42.28
26	28 20	28.91	94 32	23.98
27	28 19	31.94	94 31	29.56
28	28 19	7.38	94 30	22.49
29	28 18	7.41	94 30	37.51
30	28 16	37.28	94 30	30.81
31	28 16	22.77	94 30	19.03
32	28 16	16.32	94 31	36.00
33	28 15	26.95	94 30	54.21
34	28 14	14.06	94 31	14.91
35	28 13	57.03	94 31	30.60
36	28 12	54.48	94 31	50.36
37	28 12	23.98	94 31	45.97
38	28 11	34.62	94 31	13.31
39	28 10	33.70	94 31	24.56
40	28 9	50.02	94 30	34.48
41	28 9	49.68	94 30	34.52
42	28 9	47.11	94 29	59.32
43	28 10	7.07	94 28	59.35
44	28 10	21.29	94 28	19.89
45	28 9	47.63	94 27	6.54
46	28 9	20.43	94 26	58.73
47	28 8	18.00	94 26	54.69
48	28 8	11.37	94 26	14.34
49	28 8	34.42	94 24	47.35
50	28 9	1.01	94 23	51.91
51	28 9	31.74	94 23	40.04
52	28 10	12.65	94 22	53.51
53	28 11	31.9884	94 21	30.3588
54	28 15	27.5544	94 23	49.812
55	28 19	16.2984	94 24	34.992

Annexure-IIA

Boundary description of Yordi Rabe Supse Wildlife Sanctuary

Direction	Description
North	Point "A-Starting from peak at 3812 of Jale Yubdi, ridge at GR 894794. Thence along the ridge, which is also common circle boundary betwecn Darak circle and Tato circle through peak 3339, of same ridge up to Bayor-Adi, from where Kaying Administrative circle boundary starts at GR 904858. Thence along the ridge (common circle boundary of Kaying circle and Darak circle) through peak-2830, 2340 up to the source of Kebung Korong at GR 885924 (point B).
East	Thence downstream along the left bank of Kebung Korong up to the confluence of an un-named tributary coming from west at 848938. Thence upstream along right bank of that tributary up to its source at GR 846931. Thence artificial straight line at bearing 275° for a distance of 500 meters, 225° for a distance of 200 meters, i.e. up to the source of an un-named tributary of Hira Korong at GR 845925. Thence downstream along the left bank of that tributary up to its confluence with Hiru Korong at GR 838918. Thence downstream along the left bank of Hiru Korong up to the confluence of an unnamed tributary coming from west at GR 835918. Thence upstream along the right bank of that tributary up to its source at GR 830901. Thence an artificial straight line at bearing 270° for a distance of 400 meters up to the source of a rivulet of an unnamed tributary of Hiru Korong at GR 830897. Thence downstream along the left bank of that rivulet up to its confluence with an unnamed tributary Hiru Korong at GR 824898. Thence downstream along the left bank that tributary up to its confluence with another unnamed tributary coming from south west at GR 820914. Thence up stream along the right bank of the tributary up to its source at GR 803902. Thence an artificial straight line at bearing 190° for a distance of 200 meters up to peak 2046. Thence along the Boruadi hill in North Easterly direction at a bearing of 300° for a distance of 2.5 km up to GR 813881 i.e. up to the source of Gomte Korong (a tributary of Hrik Korong). Thence along the downstream of Gomte Krong till it neets Hirik Krong at GR 795866. Thence upstream along the right bank of Hirik Korong to a distance of 500 meter up to GR 796864 i.e. up to the confluence of Yabur Korong and thence follow Yabur Korong upstream till its meets a peak 2065. Thence follows another tributary of Shichuk Korong downstream south-easterly direction till it meets the Shichuk Korong at GR 767853. Thence along Shichuk Korong upstream for a distance of 600 meter up to the confluence a tributary coming from South East at GR 753849. Thence along that tributary upstream up to its source and the boundary passing through peak 2005 till it meets GR 738851 i.e. up to the source of an unnamed tributary of Soving Kororg. Thence downstream of that tributary till it meets Soying Korong at GR 735870. Thence along the right bank of Soying Korong/Sisso Korong upstream, south-westerly direction up to the confluence of one nameless tributary at GR 7198S9. Then along that tributary upstream (left bank) till it meets the origin of the stream at peak 2419 at GR 694867. Thence follow left bank of a tributary called Dembesio N. downstream till it meets the Sibu nallah upstream at a distance 800 meter up to the confluence with Diyum nallah at GR 661868. Then follow right bank upstream of Diyum nallah up to its confluence of a nameless tributary of Diyum nallah at GR 653866. Thence along upstream of that nameless nallah till it reach thev Kenum patu at peak 2075 (also the source of a tributary up to its confluence with another tributary of Rimi nallah at GR 616850 (Point C).

South	Thence upstream along the right bank of that tributary up to its source at GR 618834. Thence an artificial straight line at a bearing at 315° for a distance of 350 meters by crossing Rabe peak (2390) up to the source of Jira nallah at GR 622832. Thence downstream of Jira nallah till it meets the Sikken nallah at GR 608797. Thence downstream along the right bank of Sikken nallah up to its confluence with an unnamed nallah coming from East at GR 594798. Then an artificial straight line at bearing of 225° for a distance of 1.5 km up to the confluence of the Sikken nallah with an unnamed tributary coming from South at GR 584788. Thence upstream along the left bank of the Sikken nallah upto its source at GR 616734. Thence an artificial straight line at a bearing 270° for a distance of 250 meter up tp the ridge on common district boundary of West Siang and Upper Subansiri District at GR 616732. (It is also the part of Northern boundary of MARU-JARU RF) Point D.
West	Thence Northwards along the said ridge passing through peak – 2670, 3090, 3265, 3408, 3319, 3365, 3864 and up to 3992 at GR 805747. Thence along the ridge (i.e. along the circle boundary of Tato and Darak circle) North-east wards through peak 3985, 3806, 3801 up to the starting point at peak 3812 GR 894794 point A.

Annexure-IIB

Boundary description of the Eco-Sensitive Zone of Yordi Rabe Supse Wildlife Sanctuary

Starting on the northern boundary of Yordi Rabe Supse wildlife sanctuary, which is also the boundary between Daporijo FD and Along FD, a width of 1Km is proposed as Eco-sensitive zone, the boundary of ESZ starts at a point at geo co-ordinates 28°19’56.19”N & 94°23’46.58”E. Thence the boundary goes eastward passing through geo coordinates 28°20’47.94”N & 94°23’46.52” E, thereby crosses branch stream of Shimi Nadi at intersection of latitude 28°21’43.69”N & longitude 94°24’10.32” E & latitude 28°22’19.10”N, & longitude 94°25’8.19”E and latitude 28°23’12.36” N & longitude 94°26’4.47”E. Thence following the ridge boundary goes northwards passing through the geo co-ordinates 28°23’19.45” N, 94°26’12.64”E ; 28°24’10.37 "N, 94°25’49.61”E ; 28°24’54.10” N, 94°26’26’23”E. Thence the boundary goes eastward parallel to the northern boundary of the sanctuary and passes through geo coordinates 28°25’34.95” N & 94°27’23.16”E ; 28°25’19.48”N & 94°27 ,48.48” E ; 28°24’ 59.55”N & 94°28’ 34.62” E ; 28°24' 43.71” N & 94° 29’36.70” E ; 28°24' 52.15”N & 94°29’43.83”E; Thence the boundary crosses Bayor-Adi hills and passing through geo-coordinates 28°25’46.19” N & 94°30 37.57” E ; 28°25’32.70” N & 94°31’ 52.68” E ; 28°25’ 26.02” N & 94°33' 12.21” E ; 28°24 49.79”N & 94°34' 19.74” E ;28°24 11.43”N & 94°35’ 50.38” E, upto geo-coordinates 28° 23' 7.81” N & 94° 36 17.23” E , thence the boundary of 1km width ends at an unknown stream at geo-coordinates 28° 21' 51.74” N & 94°36’ 18.27”E .

Area of Eco-Sensitive Zone with 1 km width = 34.78 sq. km.

On the Eastern boundary of Yordi Rabe Supse Wildlife Sanctuary, the boundary of ESZ with 100 m width starts from unknown stream at the point at geo co-ordinante 28°22’14.61” N, 94°36’0.61” E; passing through Hiru-Korong (nallah) at geo co-ordinates 28°21’32.56”N, 94°34’46.95”E ,thence the boundary moves south-wards through geo coordinates 28°20’59.99” N, 94’33’45.22”E ; 28°20’49.52”N, 94°34’27.49"E upto peak point 2046 at geo co-ordinates 28°19’45.84”N, 94°33’42.70"E. Thence the

boundary moves slightly westwards up to geo co-ordinates 28°20’21.56”N, 94°32’26.42”E, thence following a ridge crosses the downstream of Yogong Korong at geo co-ordinates 28°19’28.74” N, 94°31’30.20”E , and passing through geo coordinates 28°19’4.40” N, 94°30’23.94”E, then cresses the Shichuk Korong (nallah) at geo coordinates 28°18’7.97”N, 94°30’41.13"E; thence the boundary moves southwards passing through geo coordinates 28°16’35.03”N, 94°30’33.48”E, 28°16’27.15’N, 94°30’26.84”E up to the branch nallah of Soying-korong at geo coordinates 28°16’16.25”N, 94°31’39.67”E. Thence the boundary goes continuously towards south parallel to the south-eastern boundary of sanctuary passing through geo coordinates 28°25’25.51”N, 94° 30’ 57.95”E ; 28°14’ 16.39”N, 94°31’18.29”E ; 28° 14’ 3.59"N, 94°31’25.06”E , 28° 13’ 58.14”N, 94°31' 34.05”E ; 28° 12’ 57.26”N, 94°31’ 52.71” E ; upto Sibu Nallah at geo-coordinates 28°12’20.78”N, 94°31 46.61”E ; thence following the path of Sibu-Nallah the boundary passes through geo-coordinates 28°11’33.62” N, 94°31’16.80” E ; upto peak point 1075 at geo-coordinates 28°10’33.14”N , 94°31’28.17”E. Thence following a ridge the boundary crosses Rimi nallah at geo-coordinates 28°9’48.39”N, 94°30’ 37.66”E ; and continuously move towards south-westward passing through geo-coordinates 28°9’43.89"N , 94°29’59.74”E and thence ESZ boundary ends at 28°10’4.58”N, 94°28’ 57.00”E.

Area of Eco-Sensitive Zone with 100m width = 4.39 sq. km.
Total Area of Eco-Sensitive Zone = 34.78 sq. km. + 4.39 sq. km. = **39.17 sq. km**

Annexure-III

Table A: Geo-coordinates of important locations along the boundary of Yordi Rabe Supse Wildlife Sanctuary

Sl. No.	Latitude (N)	Longitude (E)
1	28.33811	94.40371
2	28.34996	94.40634
3	28.3561	94.41104
4	28.37122	94.42929
5	28.38201	94.44512
6	28.38691	94.44787
7	28.40074	94.44036
8	28.41253	94.45048
9	28.41749	94.45466
10	28.41307	94.46192
11	28.40709	94.47758
12	28.40204	94.49735
13	28.40799	94.50259
14	28.4217	94.51639
15	28.41655	94.52885

16	28.41409	94.55223
17	28.40214	94.57152
18	28.39771	94.58919
19	28.38111	94.59505
20	28.37073	94.60017
21	28.37159	94.59987
22	28.35993	94.57953
23	28.34894	94.56275
24	28.34641	94.57358
25	28.3303	94.56177
26	28.34081	94.53999
27	28.32554	94.52488
28	28.31872	94.50625
29	28.30206	94.51042
30	28.27702	94.50856
31	28.27299	94.50529
32	28.2712	94.52683
33	28.25749	94.51506
34	28.23724	94.50414
35	28.23251	94.52517
36	28.21513	94.53066
37	28.20666	94.52944
38	28.19295	94.52036
39	28.17603	94.52349
40	28.16389	94.50958
41	28.1638	94.50959
42	28.16309	94.49981
43	28.16863	94.48315
44	28.17258	94.47219
45	28.16323	94.45182
46	28.15568	94.44966
47	28.13833	94.44853
48	28.13649	94.43732
49	28.14289	94.41315

50	28.15028	94.39775
51	28.15882	94.39446
52	28.17018	94.38153
53	28.19222	94.35843
54	28.25765	94.39717
55	28.32119	94.40972

Table B: Geo-coordinates of important locations along the boundary of Eco-Sensitive Zone of Yordi Rabe Supse Wildlife Sanctuary

Along 1 km ESZ boundary width		
Sl. No.	**Latitude (N)**	**Longitude (E)**
1	28.33228	94.39627
2	28.34665	94.39903
3	28.34547	94.40287
4	28.37197	94.41894
5	28.38677	94.43458
6	28.38874	94.43684
7	28.40288	94.43045
8	28.41503	94.44062
9	28.42638	94.45643
10	28.42208	94.46347
11	28.41654	94.47628
12	28.41214	94.49353
13	28.41449	94.49551
14	28.4295	94.51044
15	28.42575	94.5313
16	28.42389	94.55339
17	28.41383	94.57215
18	28.40318	94.59733
19	28.3855	94.60479
20	28.36437	94.60508
Along 100 m ESZ boundary width		
Sl. No.	**Latitude (N)**	**Longitude (E)**

1	28.37073	94.60017
2	28.35904	94.57971
3	28.35000	94.56256
4	28.34709	94.57430
5	28.32939	94.56186
6	28.33932	94.54067
7	28.32465	94.52506
8	28.31789	94.50665
9	28.30221	94.51143
10	28.27640	94.50930
11	28.27421	94.50746
12	28.27118	94.52769
13	28.25709	94.51610
14	28.23511	94.52175
15	28.23433	94.52363
16	28.23282	94.52613
17	28.21591	94.53131
18	28.20577	94.52961
19	28.19267	94.52133
20	28.17587	94.52449
21	28.16344	94.51046
22	28.16219	94.49993
23	28.16794	94.48250

Annexure-V

List of Village(s) Falling Inside the Eco-Sensitive Zone of Yordi Rabe Supse Wildlife Sanctuary

Sl. No.	Village Name	Type of Village	Tehsil / Taluka	District	Latitude (N)	Longitude (E)	Remarks
-	NIL	-	-	-	-	-	There is no any village(s) falling inside the Eco-sensitive zone of Yordi Rabe Supse Wildlife Sanctuary.

Annexure-VI

PROFORMA OF ACTION TAKEN REPORT.-

1. Number and date of Meetings.
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attached Minutes of the meeting on separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record. Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinized for activities covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of case scrutinized for activities not covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints lodged under Section 19 of Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA
Digitally signed by KUMER CHAND MEENA
Date: 2026.07.24 12:32:57 +05'30'